छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर 492002

क्रमांक/1532/एफ–02/03/गो.ध.न्या.यो/2020/14–2 नवा रायपुर,दिनांक 15/07/2020

प्रति,

1. **संभागायुक्त, रायपुर/दुर्ग/सरगुजा/बिलासपुर/बस्तर, छ.ग.**
2. **समस्त कलेक्टर्स, छ.ग.**
3. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छ.ग.**
4. **समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम, छ.ग.।**
5. **समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, छ.ग.**

विषयः– गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।

––00––

राज्य की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा, गरूवा, घुरूवा व बाड़ी का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश में गौठान स्थापित किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा गौठान की गतिविधियों में विस्तारण करते हुये गोठान में गोबर क्रय करते हुए संग्रहित गोबर से वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार करने हेतु "गोधन न्याय योजना" का प्रारंभ छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पर्व 'हरेली' (इस वर्ष दिनांक 20 जुलाई, 2020) से किया जा रहा है। योजना कियान्वयन से जैविक खेती को बढ़ावा, ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नये अवसर, गौपालन एवं गौ–सुरक्षा को प्रोत्साहन के साथ–साथ पशुपालकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आगामी वर्षों में नवीन गोठानों की स्थापना के साथ–साथ योजना का विस्तार भी आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

इस संबंध में योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

1. **योजना का उद्देश्यः–**

(i) पशुपालकों की आय में वृद्धि।
(ii) पशुधन विचरण एवं खुली चराई पर रोक।
(iii) जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा एवं रासायनिक उर्वरक उपयोग में कमी लाना।
(iv) खरीफ एवं रबी फसल सुरक्षा एवं द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार।
(v) स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता।
(vi) स्थानीय स्व सहायता समूहो को रोजगार के अवसर।
(vii) भूमि की उर्वरता में सुधार।
(viii) विष रहित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता एवं सुपोषण।

2. **कार्यक्षेत्र** :– संपूर्ण प्रदेश। आगामी वर्षो में नवीन गौठानो की स्थापना के साथ–साथ आवश्यकता अनुसार योजना का विस्तार किया जाएगा।

3. गोबर का कय एवं भुगतान की प्रकिया :–

3.1 गोठान समितियो द्वारा उसी पंचायत की गोबर कय की जा सकेगी। इस हेतु गोठान समिति द्वारा समय–सारणी निर्धारित की जाएगी।

3.2 गोठान में गोवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुपालक से गोबर का कय शासन द्वारा निर्धारित दर से किया जाएगा। वर्तमान में शासन द्वारा रु. 2/कि.ग्रा. (परिवहन व्यय सहित) की दर निर्धारित किया गया है। पशुपालक गोबर का विकय स्वैच्छिक रुप से कर सकेगे।

3.3 गोबर की गुणवत्ता हाथ में उठाये जाने लायक अर्धठोस प्रकृति की होगी। गोबर में कांच, मिट्टी, प्लास्टिक इत्यादि नहीं होना चाहिये।

3.4 पशुपालकों से कय किये जा रहे गोबर का लेखा विवरण 2 प्रतियों में रखा जायेगा। गोबर कय पत्रक का नमूना **परिशिष्ट–1** पर है। गोबर कय पत्रक में पशुपालक का हस्ताक्षर अनिवार्य रुप से लिया जावेगा।

3.5 हितग्राहियों से गोबर ही लिया जायेगा, गोबर के कोई उत्पाद यथा कंडा इत्यादि नहीं लिया जायेगा। बायोमॉस (जैविक अपशिष्ट) स्वेच्छा से गौठानो में प्रदाय किया जा सकता है। परंतु इसके लिये कोई भी राशि देय नहीं होगी।

3.6 गौठान में रहने वाले पशुओं द्वारा उत्सर्जित गोबर गौठान के स्वत्व में होगा, उसके लिये पशुपालक को पृथक से राशि देय नहीं होगी।

3.7 गौठान में पशुओ हेतु यथासंभव हरा चारा की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

3.8 कय उपरांत गोबर को संग्रहित कर गोठान में सामान्यतः अंदरुनी क्षेत्र में निर्मित CPT में रखा जाएगा तथा 15 से 20 दिन के उपरांत वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने में उपयोग किया जाएगा।

3.9 कय किए गए गोबर की राशि का भुगतान प्रत्येक 15 दिवस में गोठान समिति द्वारा हितग्राहियों को किया जायेगा।

3.10 गोबर के भार मापन हेतु कैलिबरेटेड फर्मा/तराजू का उपयोग किया जायेगा।

3.11 गोधन न्याय योजना के कियान्वयन के किसी भी प्रकिया/चरण में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति/सदस्य को शामिल नहीं किया जाएगा।

3.12 गोठान में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु स्व सहायता समूह का चिन्हांकन/चयन अनिवार्य रूप से तत्काल कर लिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में चरवाहा स्व–सहायता समूह के अभिन्न अंग होगे। यह कार्य कलेक्टर के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय की निगरानी में किया जाएगा।

4. वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने हेतु प्रशिक्षणः–

4.1 कलेक्टर द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक गौठान के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

4.2 वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिये चिन्हांकित स्व–सहायता समूह को 2 चक्र में विस्तृत प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केन्द्र तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसे विकासखण्ड जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नहीं हैं, जनपद पंचायत के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। समस्त गौठानो में वर्मीकम्पोस्ट निर्माण के पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा।

4.3 समस्त गोठानो में समयावधि में प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने का दायित्व कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उप संचालक कृषि, उप संचालक पशु चिकित्सा को होगा।

4.4 शहरी क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्य राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन (NULM) अंतर्गत संपादित की जाएगी।

5 वर्मी कम्पोस्ट टांका निर्माणः–

5.1 प्रत्येक गौठान में गोबर की उपलब्धता के अनुसार वर्मी टांका बनाया जायेगा। वर्मी टांका का निर्माण मनरेगा के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से किया जायेगा। नगरीय क्षेत्र में वर्मी टांका का निर्माण संबधित नगरीय निकायो द्वारा किया जायेगा।

5.2 जिलावार भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये वर्मी टांका निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बनाया जायेगा, ताकि केंचुआ की जीवितता प्रभावित न हो, साथ की वर्मी वॉश इत्यादि का एकत्रीकरण हो सके।

5.3 वर्मी टांका 3.6mX1.5mX0.75m साईज का मनरेगा प्राक्कलन के अनुसार एवं पशुओ से प्राप्त हो रहे गोबर की मात्रा के आवश्यकता अनुसार किया जायेगा।

6. गौठान में गोबर प्रसंस्करण :–

6.1 स्व सहायता समूह द्वारा गोठान में संग्रहित/एकत्रित गोबर से प्राथमिक रुप से वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जाएगा। स्थानीय मांग एवं आवश्यकतानुसार अन्य उत्पाद भी तैयार किये जा सकेगे।

6.2 उप संचालक कृषि अथवा मैदानी अमलों के निगरानी में तकनीकी मापदण्ड अनुसार चिन्हांकित स्व सहायता समूह के द्वारा गोबर, केंचुआ एवं जैविक अवशेष आदि का वर्मी टांका में भराई किया जायेगा।

6.3 वर्मी टांका में 15–20 दिन का अपघटित गोबर का ही उपयोग किया जायेगा, ताकि गोबर से उत्पन्न होने वाली उष्मा एवं मिथेन गैस से केंचुआ पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

7. वर्मी कम्पोस्ट का पैकेजिंगः–

7.1 वर्मी कम्पोस्ट तैयार होने के बाद वर्मी कम्पोस्ट एवं केंचुआ को अलग–अलग करने हेतु छलनी का प्रयोग किया जायेगा।

7.2 वर्मी कम्पोस्ट तैयार होने पर पैकिंग के पूर्व प्रत्येक चक्र में कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षक द्वारा प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु नमूना लिया जाएगा।

7.3 गोठान में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता परीक्षण एवं पैकेजिंग इत्यादि कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुरुप विभाग (कृषि) की देख–रेख में स्व–सहायता समूह द्वारा कराया जाएगा।

7.4 वर्मी कम्पोस्ट की आकर्षक पैकेजिंग का कार्य स्व–सहायता समूह द्वारा कलेक्टर द्वारा नामित नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जावेगा। पैकिंग उपरांत वर्मी कम्पोस्ट का सुरक्षित भण्डारण स्व–सहायता समूह द्वारा किया जाएगा।

7.5 पैकेजिंग हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं (पैंकिग बैग, पैकिंग बैग प्रिंटिंग, weighing machine आदि) गोठान समिति की प्राप्तियां, चक्रीय निधि आदि से किया जायेगा।

7.6 परीक्षण रिपोर्ट के सफल/मानक स्तर का होने पर 2 कि.ग्रा., 5 कि.ग्रा एवं 30 कि.ग्रा. के पॉली बैग में पैकिंग स्व–सहायता समूह द्वारा किया जाएगा।

7.7 स्व–सहायता समूह को पैकिंग बैग में उत्पाद का विवरण प्रिंटिंग कराना होगा। जिसका विवरण **परिशिष्ट–2** पर है।

8 वर्मी कम्पोस्ट का विपणनः–

8.1 वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय शासन द्वारा निर्धारित दर से किया जाएगा। वर्तमान में यह दर रु. 8.00 प्रति कि.ग्रा. निर्धारित किया गया है। विक्रय हेतु कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी।

8.2 किसानों को गौठानों से वर्मी कम्पोस्ट का सीधा विक्रय नहीं किया जाएगा। अपितु उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

8.3 वन विभाग/कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग/नगरीय प्रशासन विभाग एवं ग्रामोद्योग (रेशम) विभाग द्वारा विभागीय कार्यक्रम में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट को छोड़कर विभाग हेतु आवश्यक अतिरिक्त वर्मीकम्पोस्ट की मात्रा का क्रय गौठानों से किया जायेगा।

8.4 किसी भी विभाग द्वारा टेण्डर से वर्मीकम्पोस्ट का क्रय नहीं किया जाएगा।

8.5 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति एवं लैम्पस के माध्यम से कृषको को प्रदायित अल्पकालीन फसल ऋण के "ऋण–मान (scale of finance)" में वर्मी कम्पोस्ट अनिवार्यतः शामिल कर आदान सामग्री के रुप में वितरित किया जाएगा। जिसका कियान्वयन **परिशिष्ट–3** में संलग्न प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।

9. योजना कियान्वयन का दायित्व :–

9.1 योजना के विभिन्न गतिविधियों का निर्धारित समयावधि में संपादन कराने का संपूर्ण दायित्व जिला कलेक्टर का होगा।

9.2 ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण का कार्य जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर क्रमशः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा किया जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्रो मे यह दायित्व आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय का होगा।

शहरी क्षेत्रों में योजना कियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश **परिशिष्ट–4** पर है।

10. **अनुश्रवण** :– राज्य एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा। गठित समिति का विवरण **परिशिष्ट–5** पर है।

11. विवाद का निपटारा:–

11.1 गोठान समिति एवं स्वसहायता समूह के मध्य उत्पन्न विवाद का निराकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरी निकाय द्वारा किया जायेगा।

11.2 स्व–सहायता समूह एवं विपणनकर्त्ता सहकारी समिति के मध्य उत्पन्न विवाद का निराकरण उप पंजीयक/सहायक पंजीयक सहकारी संस्था द्वारा किया जायेगा।

11.3 गोठान के संचालन में अंतिम निर्णय जिला कलेक्टर का होगा।

12. वित्तीय व्यवस्था:–

12.1 गोठानो में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु कुल अनावर्ती व्यय रु. 332.68 करोड़ तथा प्रथम 2 चक्र हेतु आवर्ती व्यय रु. 154.81 करोड़ इस तरह कुल रु. 487.50 करोड़ की पूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

12.2 विभिन्न स्तरों पर वित्तीय व्यवस्था एवं वित्त प्रवाह **परिशिष्ट–6** अनुसार होगी, जिसे समय–समय पर राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

15/7/2020

प्रमुख सचिव,
छ.ग. शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

15/7/20

कृषि उत्पादन आयुक्त
एवं सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

15/7/20

सचिव
छ.ग. शासन
सहकारिता विभाग

15/7/20

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन विभाग

पृ.क्र. /4533/एफ–02/03/गो.ध.न्या.यो/2020/14–2 नवा रायपुर, दिनांक 15/07/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ शासन।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री कृषि/वन/नगरीय प्रशासन/सहकारिता/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
6. सचिव,छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नवा रायपुर अटल नगर।
9. आयुक्त, कार्यालय विकास आयुक्त, छ.ग.।
10. आयुक्त मनरेगा, नवा रायपुर अटल नगर।
11. पंजीयक सहकारी संस्थायें नवा रायपुर अटल नगर।
12. संचालक, कृषि/नगरीय प्रशासन/पशुचिकित्सा एवं पशुधन/उद्यानिकी/ग्रामोद्योग।
13. प्रबंध संचालक, बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. रायपुर।
14. प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक नवा रायपुर अटल नगर।

15/7/20

कृषि उत्पादन आयुक्त
एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

गोबर कय पत्रक

(समूह/कृषक प्रति)

पंजीयन क्र. .....

1. हितग्राही का नाम ..... 2. पिता/पति का नाम .....
3. जाति ..... 4. ग्राम .....
5. ग्राम पंचायत ..... 6. वि.ख. .....7. जिला .....
8. पशुओं की संख्या .....
9. गोठान समिति/समूह का नाम .....

क्र.	दिनांक	गोबर कय का विवरण			भुगतान का विवरण		समूह के नामित प्रतिनिधि का हस्ताक्षर	हितग्राही का हस्ताक्षर
		गोबर की मात्रा (कि. ग्रा.)	कय दर (रु. 2 प्रति कि. ग्रा.)	कुल राशि (रु)	मात्रा	राशि		

पैकिंग बैंग में प्रिंटिंग हेतु विवरण

वर्मी कम्पोस्ट (केंचुआ खाद)

1. स्वसहायता समूह का नामः– .....
2. गोठान समिति का नामः– .....
3. ग्राम पंचायत ....., वि.ख. .....
   जिला ....., छ.ग.। पिन नं. .....
4. वजन (पैकिंग के समय) ..... कि.ग्रा.
5. पैकिंग की तिथि .....
6. अधिकमत खुदरा मूल्य राशि रू.....

"गोधन न्याय योजना" के अंतर्गत प्रदेश के गोठान में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का वितरण सहकारी सोसायटी के माध्यम से किसानों को करने हेतु दिशा–निर्देश।

1. प्रदेश में संचालित गोठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का वितरण सहकारी सोसाइटी के माध्यम से किया जाना है। वर्मी कम्पोस्ट खाद का वितरण हेतु प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के अधीन आने वाली गोठानों को संबंधित समिति में संलग्न किया जाना होगा।

2. योजना के क्रियान्वयन हेतु गोठानों, समितियों एवं समितियों के अधीन आने वाले गांवों का मैपिंग सोसायटी द्वारा किया जावे, जिसकी जानकारी किसानों एवं गोठान समितियों को उपलब्ध करायें तथा इसका विस्तृत प्रचार–प्रसार करावें।

3. कृषि विभाग के द्वारा निर्धारित एफ.ए.क्यू पैकिंग एवं अन्य मापदण्ड की पूर्ति करने वाले खाद का ही वितरण सोसायटी के माध्यम से किया जावे।

4. गोठान समिति में ही भण्डारण सुनिश्चित किया जावे तथा गोठान समिति से ही किसानों को खाद वितरण किया जावे।

5. किसानो को वर्मी कम्पोस्ट खाद का वितरण बैंक/सहकारी समिति द्वारा वस्तु ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

6. कोई भी किसान समिति से परिमट कटवाकर गोठान समिति में लेकर आयेंगे तथा निर्धारित मात्रा में खाद प्राप्त करेंगे। जिसका प्रमाणीकरण गोठान समिति द्वारा किया जावेगा।

7. किसानों द्वारा प्रमाणित पर्ची प्राप्त कर सोसायटी में जमा करना होगा। तत्पश्चात् किसानों के ऋण खाते में ऋण राशि का समायोजन किया जायेगा।

8. प्रति शुक्रवार को सहकारी सोसायटी द्वारा गोठान समिति को राशि का ऑनलाईन ट्रांसफर किया जावेगा। इसके लिए गोठान समिति को सहकारी बैंक में खाता खुलवाना होगा।

9. प्रतिमाह सहकारी सोसायटी एवं गोठान समिति द्वारा वर्मी खाद क्रय–विक्रय के खातों का मिलान करेंगे।

10. वर्मी कम्पोस्ट खाद की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का निराकरण कृषि विभाग के उप संचालक, कृषि एवं सहकारी सोसायटी के संबंधित शिकायतों का निराकरण जिले के सहायक/उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी द्वारा किया जायेगा।

शहरी क्षेत्रों में ''गोधन न्याय योजना'' के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

प्रस्तावनाः– शहरी क्षेत्रों में गोधन न्याय योजना का प्रमुख उद्देश्य एकीकृत व्यवस्था के साथ सड़क मे घूमने वाले पशुओं के नियंत्रण, खेत एवं बाड़ियों हेतु उच्च गुणवत्ता के जैविक खाद की उपलब्धता, शहरी स्वच्छता के माडल को सुदृढ़ करते हुये पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ पशुपालन से उत्सर्जित अपशिष्ट से होने वाली बीमारियों के बचाव हेतु अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान किया जाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजना में कार्यरत् शहरी गरीब परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु शहरी क्षेत्रों में गोबर का क्रय एवं गोबर से निर्मित गुणवत्ता युक्त वर्मी कम्पोस्ट खाद का विक्रय तथा गोठान समिति को आत्मनिर्भर बनाया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन मे मितव्यवता एवं उपलब्ध अधोसंरचना की क्षमता का अधिकाधिक उपयोग, पूंजीगत व्यय मे कमी, अन्य व्यवस्थाओ की दृष्टिकोण से निकाय मे क्रियान्वयित स्वछ भारत मिशन से वित्त पोषित राज्य प्रवर्तित मिशन क्लीन सिटी के साथ (अभिसरण) कनवरजेंस किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु निम्नानुसार कार्ययोजना प्रस्तावित हैः–

1. गोबर विक्रेता पशुपालक का पंजीयन

1.1. नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक पशुपालक का निकाय स्तरीय पंजीयन किया जाएगा । इस हेतु निर्धारित प्रारूप मे आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे । पशुपालक के आवेदन जमा करने वार्ड कार्यालय , एस एल आर एम सेंटर , कम्पोस्ट शेड , गोठान आदि मे काउंटर बनाए जाएँगे।

1.2. आवेदन मे अंकित जानकारी यथा पशुपालक का नाम, पशुओ की संख्या , उत्सर्जित गोबर की अनुमानित मात्रा आदि की पशुपालक द्वारा स्व–आकलित जानकारी का समूह एवं योजना के वार्ड प्रभारी द्वारा भौतिक सत्यापन उपरांत पंजीयन किया जाएगा।

1.3. पंजीकृत पशुपालक को गोधन न्याय योजना अंतर्गत निर्धारित प्रारूप मे कार्ड का वितरण किया जाएगा। गोबर खरीदी की जानकारी कार्ड एवं पंजी मे दर्ज की जाएगी।

1.4. यथासंभव स्वयं सेवी संस्थान अन्य संस्थानों के सहयोग से सर्वे उपरांत प्रत्येक पशुओ के गले में मवेशी मालिक के नाम, पता, मोबाईल नंबर की पट्टिका (सोहाई) बाधी जायेगी। जिससे खुले में घुमते पाये जाने की स्थिति में पशुपालक की जिम्मेदारी तय की जा सकेंगी।

2. गोबर का क्रय , गोबर खरीदी केंद्र एवं संग्रहण

2.1 शहरो मे स्थित एस एल आर एम सेंटर , कम्पोस्ट शेड , गोठान मे तराजू /फर्मा आदि की व्यवस्था के साथ गोधन न्याय खरीदी केंद्र बनाए जाएँगे।

2.2 पंजीकृत पशुपालको द्वारा ही गोबर का विक्रय गोधन न्याय खरीदी केंद्र मे किया जाएगा।

2.3 समूह द्वारा द्वारा पशुपालक को गोबर के क्रय उपरांत शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार मय परिवहन शुल्क भुगतान किया जावेगा।

3. प्रसंस्करण एवं अधोसंरचना विकास

3.1 सर्वे उपरांत प्राप्त होने वाले गोबर के संभावित मात्रा के अनुरूप निकाय क्षेत्र में मिशन क्लीन सिटी योजना अंतर्गत निर्मित कम्पोस्ट शेड की क्षमता का आकलन संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा। इस योजना अंतर्गत क्रय किये गये गोबर से निकाय की स्थिति अनुरूप वर्मी कम्पोस्ट, गार्डन पाऊडर, गोबर लकडी, गोबर धूपबत्ती, गोबर दीया, बायोगैस, नाडेप काका खाद एवं अन्य संबंधित उत्पाद तैयार करने हेतु छोटी–छोटी परियोजनाएँ तैयार की जायेगी।

3.2 एकत्रित गीले कचरे एवं क्रय किए गए गोबर के मिश्रण से निकाय मे निर्मित कम्पोस्ट शेड मे वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण किया जाएगा ।

साथ ही गोबर खरीदी के उपरांत परिवहन व्यय को कम किए जाने एवं शहरो मे विकेंद्रीकृत गोठान की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु यथा संभव एस एल आर एम एवं कम्पोस्ट शेड के निकट की भूमि मे निकाय की अवस्थिति अनुरूप निम्नानुसार शहरी गोठान विकसित किए जाएँगे ।

निकायवार गोठान की संख्या

निकाय का प्रकार		गोठान की न्यूनतम संख्या	रिमार्क
नगर पालिक निगम (कुल 14)	रायपुर	12	• रायपुर शहर मे नए 12 नग एवं बिलासपुर शहर मे 07 नग कम्पोस्ट शेड सह गोठान का निर्माण एवं एस एच जी की गठन किया जाएगा। क्योकि इन शहरो मे मिशन क्लीन सिटी योजना क्रियान्वयित नहीं है। • अद्यतन 166 नगरीय निकायो मे एस एल आर एम 357 इकाई एवं कम्पोस्ट शेड 165 इकाई अर्थात कुल 522 इकाई कार्यरत है। इनमे लगभग 9000 स्व–सहायता समूह की महिलाए आजीविका प्राप्त कर रही है।
	बिलासपुर, भिलाई , कोरबा नगर पालिक निगम मे न्यूनतम 07 गोठान के मान से कुल 21 गोठान	21	
	अन्य 10 नगर पालिक निगम मे न्यूनतम 04 गोठान के मान से कुल 40 गोठान	40	
नगर पालिका परिषद (कुल 43)	न्यूनतम 02 गोठान के मान से	86	
नगर पंचायत (कुल 109)	न्यूनतम 02 गोठान के मान से	218	
कुल		377	

3.3 आवश्यकता अनुरूप वर्मी कम्पोस्ट एवं गोबर के अन्य उत्पाद निर्माण हेतु कम्पोस्ट शेड की तकनीकी एवं प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि हेतु निकाय द्वारा प्रस्ताव तैयार किये जायेगें। प्रस्ताव का चरणवार अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु राशि की व्यवस्था पर्यावरण संरक्षणध्स्वच्छता मद अंतर्गत केन्द्रध्राज्य प्रवर्तित योजना में उपलब्ध प्रावधानों के तहत् की जायेगी।

3.4 वर्तमान में खाद विक्रय से प्राप्त होने वाली आय निकाय का राजस्व होता है। खाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, स्व–सहायता समूह की महिलाओं की कार्य के प्रति रूचि बढ़ाने, खाद एवं अन्य प्रसंस्करण में लगने वाले खर्च की व्यवस्था आदि को दृष्टिगत रखते हुये खाद विक्रय से प्राप्त होने वाले राजस्व को स्व–सहायता समूह को प्रदान किया जावेंगा।

4. विपणन एवं गुणवत्ता

4.1 गोबर की खरीदी एवं गोबर से निर्मित खाद एवं अन्य उत्पाद का विक्रय स्व–सहायता समूह द्वारा ही किया जायेगा। गोबर का क्रय शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही की जायेगा एवं हितग्राहियों को गोबर क्रय का भुगतान पाक्षिक आधार पर किया जायेगा।

4.2 गोबर का क्रय हेतु तराजू/आयतन मापक (वाल्यूमेट्रीक आधार अनुमानित वजन का पैमाना) कलेक्शन करने वाले स्व–सहायता समूह को उपलब्ध कराये जायेगें। इस कार्य हेतु मानक संचालन विधि निकाय द्वारा निर्धारित की जायेगी।

4.3 गोबर के क्रय हेतु लगने वाले आवर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति स्व–सहायता समूह द्वारा उत्पाद विक्रय से की जायेगी। इस कार्य हेतु स्व–सहायता समूह को एकमुश्त एक बार ऋण निकाय द्वारा प्रदान किया जायेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का ब्याज स्व–सहायता समूह से नही लिया जायेगा एवं समूह के मासिक मानदेय से आगामी 24 माह में वसूली की जायेगी।

4.4 खाद का विक्रय कृषि विभाग निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पर स्व–सहायता समूह द्वारा किया जायेगा।

4.5 जिला स्तरीय समिति द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया कृषि विभाग द्वारा तय गुणवत्ता मानक अनुसार खाद का निर्माण, गुणवत्ता परीक्षण एवं आनुषांगिक प्रक्रियाए सुनिश्चित की जाएगी ।

5. स्व–सहायता समूह प्रबंधन

5.1 समूह का पंजीयन नगरीय निकायों द्वारा सिटी लेवल फेडरेशन, एरिया लेवल फेडरेशन एवं स्व–सहायता समूह हेतु प्रकाशित नियम के तहत् किया जायेगा।

5.2 स्व–सहायता समूह का प्रशिक्षण, वर्मी कम्पोस्टिंग हेतु केचुँवा की व्यवस्था आदि का कार्य नगरीय निकायों द्वारा कृषि विभाग से समन्वय उपरांत किया जायेगा।

6. समूह का प्रशिक्षण

6.1 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से समूह का गोठान प्रबंधन एवं कम्पोस्ट निर्माण विषयो मे कृषि विभाग के द्वारा उपलब्ध अध्यन समाग्री के समावेश से किया जाएगा ।

6.2 निकाय मे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यरत विशेषज्ञ को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कराया जाएगा ।

7. **<u>शिकायत निवारण प्रणाली</u>:–** गोबर के क्रय में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु 03 स्तर यथा समूह स्तर , वार्ड प्रभारी स्तर एवं विशेषज्ञ स्तरीय फिल्ड कमेटी एवं अपील हेतु आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन प्रस्तावित है। इसके साथ– साथ निदान 1100 टोल फ्री नबर से भी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा

––00––

1. राज्य एवं जिला स्तरीय समिति :–

1.1 राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय अनुश्रवण एवं समन्वय समिति:–योजना के प्रभावी कियान्वयनएवं निगरानीहेतु मुख्य सचिव, छ.ग. शासन के अध्यक्षता में निम्नानुसार राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं समन्वय समिति का गठन किया जाता है:–

1. मुख्य सचिव, छ.ग. शासन – अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग – सदस्य
3. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय – सदस्य
4. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग – सदस्य
5. सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग – सदस्य
6. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं भार साधक सचिव, कृषि विभाग–सदस्य सचिव
7. सचिव, छ.ग. शासन, सहकारिता विभाग – सदस्य
8. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन विभाग – सदस्य

1.1.1 राज्य स्तरीय समिति के दायित्व :–

(i) योजना कियान्वयन की नीति तैयार कर समय–समय पर निर्देश प्रसारित करना।

(ii) योजना का अनुश्रवण करना।

(iii) अंर्तविभागीय समन्वय एवं संबंधित विभागो को यथोचित निर्देश प्रसारित करना।

(iv) योजना को बेहतर बनाने हेतु मैदानी अनुभव एवं सुझाव को मंत्रिमण्डलीय समिति समक्ष प्रस्तुत करना।

(v) गोबर क्रय दर एवं वर्मी कम्पोस्ट विक्रय दर के निर्धारण के लिए अनुशंसा मंत्रिमण्डलीय समिति को प्रस्तुत करना।

2. जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति:–जिला स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है। समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

1. जिला कलेक्टर – अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – सदस्य
3. वन मण्डलाधिकारी – सदस्य
4. आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकाय – सदस्य
5. उप पंजीयक, सहकारिता – सदस्य
6. उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं – सदस्य
7. उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी – सदस्य
8. मु.का.अ., जिला सह. केन्द्रीय बैंक – सदस्य
9. उप संचालक कृषि – सदस्य सचिव

2.2.1 समिति के कार्य :–

(i) जिले स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार करना।

(ii) वर्मी कम्पोस्ट का गुणवक्ता नियंत्रक, मानक पैकिंग, विपणन की व्यवस्था करना।

(iii) समस्त संबंधित भागीदारों को समय–सीमा में भुगतान सुनिश्चित करना।

(iv) योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना।

(v) गोठान समिति एवं स्वसहायता समूह का क्षमता विकास।

वित्तीय व्यवस्था एवं वित्त प्रवाह

- गोबर क्रय हेतु शासन द्वारा निर्धारित राशि देय होगी।
- वर्तमान में गोबर 2.00 रूपये प्रति किलोग्राम की दर (परिवहन व्यय सहित) से पशुपालक स्वैच्छिक रुप से क्रय किया जायेगा।
- प्रयोगशाला परीक्षण एवं अन्य व्यय हेतु गौठान समिति 0.25 रूपये प्रति किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट की दर से पर्यवेक्षण शुल्क रख सकेंगे।
- प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग हेतु 0.65 रूपये प्रति किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट के मान से स्व–सहायता समूह द्वारा व्यय किया जा सकेगा।
- विपणन हेतु लैम्पस/पैक्स को 0.50 रूपये प्रति किलोग्राम वर्मी कम्पोस्ट कमीशन देय होगा।
- स्व–सहायता समूह एवं गोठान समितियों के मध्य 75:25 अनुपात में शुद्ध लाभ साझा किया जायेगा।